COURT FEE 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 RS. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1रु. कोर्ट फी Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

1रु. कोर्ट फी Re.1 भारत एक रुपया ONE RUPEE

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

5
12.00

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 03-12-15 पारित द्वारा उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर सुलतानपुर 1 व उनवान कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 72/T 2015 0 4680728711 अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अधि० ग्राम मुरली-चौबेपुर परगना बरौंसा तहसील जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर। पंडित जुगीलाल अरुण कुमार शिक्षण संस्था शिशक रामबाबू तिवारीनगर जयसिंहपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक रामबाबू तिवारी बनाम ग्राम पंचायत आदि। न्यायालय उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर सुलतानपुर। तारीख फैसला- 21-11-15

Photo Stat Attested

उपजिलाधिकारी / उपजिला ... जयसिंहपुर सुलतानपुर

नोट
आदेश दिनांक 03-12-15 की प्रमाणित छायाप्रति फोटोप्रति के साथ संलग्न है। 

NOTARY

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sadar Sultanpur

न्यायालय उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर सुलतानपुर।

वाद संख्या [illegible]

अन्तर्गत धारा [illegible]
ग्राम मुइली, चौबेपुर परगना बरौसा
तहसील जयसिंहपुर जिला
सुलतानपुर।

पंडित जुग्गीलाला अरूण कुमार शिक्षण संस्था शिक्षक,
रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबंधक,
राम बाबू तिवारी बनाम ग्राम पंचायत आदि

संशोधित आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना--पत्र इस आशय से दिया है कि उपरोक्त वाद में उनवान में पंडित जुग्गीलाला अरूण कुमार शिक्षण संस्था शिक्षक रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबंधक राम बाबू तिवारी में जुग्गीलाल के स्थान पर जुग्गीलाला व शिक्षा संस्थान के स्थान पर शिक्षण संस्था त्रुटिबश टंकित हो गया है। अतः इसे दुरूस्त किया जाय।

अतः उपरोक्त वाद में जुग्गीलाला के स्थान पर जुग्गीलाल व शिक्षण संस्था के स्थान पर शिक्षा संस्थान पढ़ा व लिखा जाय तद्नुसार उपरोक्त आदेश के साथ इसे शामिल करते हुए परवाना अमलदरामद जारी हो।

दिनॉकः दिसम्बर 03, 2015

03.12.15
(डा0 रमेश कुमार शुक्ल)
उप जिलाधिकारी
जयसिंहपुर।

प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र की संख्या 749
प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र देने का दि० 15-12-2015
स्टाम्प मूल्य 13.00
नोटिस बोर्ड का दिनांक 17.12.2015
प्रतिलिपि देने का दिनांक 17.12.2015

सत्य-प्रतिलिपि
17.12.2015

Photo Stat Attested

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sadar Sultanpur (U.P.)

COURT FEE
INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

COURT FEE
INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES

इण्डिया
ONE RUPEE

NOTARIAL

NOTARIAL

CANCELLED

5/
13.60

उपजिलाधिकारी /उपजिला
जयसिंहपुर सुल्तानपुर

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 21-11-15 पारित द्वारा उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर सुल्तानपुर। कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 72/T20150468 0287. अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अधि० ग्राम कुरहली, चौबेपुर परगना बरौंसा तहसील जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर। पंडित जुग्गीलाल कमलापति शिक्षण संस्था द्वारा रामबाबू तिवारी नगर - जयसिंहपुर सुल्तानपुर द्वारा प्रबन्धक रामबाबू तिवारी बनाम ग्राम पंचायत आदि न्यायालय उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर सुल्तानपुर तारीख फैसला: 21-11-15

---

नोट

आदेश दिनांक 21-11-15 की प्रमाणित छाया प्रति फोटोप्रति के साथ संलग्न है।

NOTARY
RAJENDRA PRATAP SINGH
ADVOCATE
TEHSIL SADAR
U.P. GOVERNMENT

Photo Stat Attested

Rajendra Pratap Singh
NOTARY Advocate
Sadar Sultanpur (U.P.)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर सुलतानपुर।

वाद संख्या: T201504680728-71

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम मुइली चौबेपुर परगना बरौसा
तहसील जयसिंहपुर जिला
सुलतानपुर।

पंडित जुग्गीलाला अरूण कुमार शिक्षण संस्था, शिक्षक रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबंधक, राम बाबू तिवारी।

बनाम

ग्राम पंचायत आदि

## निर्णय

प्रश्नगत वाद वादी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वह ग्राम मुइली की खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता संख्या 112 गाटा संख्या 542क/0.1550है0, 549/0.0440है0, खाता संख्या 51 गाटा संख्या 542ख/0.0630है0, खाता संख्या 70 गाटा संख्या 544/0.0740है0 एवं ग्राम चौबेपुर की खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 के खाता संख्या 70 की गाटा संख्या 269/0.4260है0 में विद्यालय भवन व उसकी बाउण्ड्रीवाल बनाकर विद्यालय चला रहा है। इसमें कृषि कार्य नहीं होता है। वाद भूमि अकृषिक हो चुकी है। अतः इसे ज0वि0अ0 की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित की जाय। साक्ष्य में वाद भूमि से सम्बन्धित ग्राम मुइली व चौबेपुर की नकल खतौनी दाखिल की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार जयसिंहपुर से आख्या दिनॉकित 31.07.2015 प्राप्त की गयी। तहसीलदार जयसिंहपुर द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि वादी ने ग्राम मुइली की खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता संख्या 112 गाटा संख्या 542क/0.1550है0, 549/0.0440है0, खाता संख्या 51 गाटा संख्या 542ख/0.0630है0, खाता संख्या 70 गाटा संख्या 544/0.0740है0 एव ग्राम चौबेपुर की खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 के खाता संख्या 70 की गाटा संख्या 269/0.4260है0 में विद्यालय भवन व उसकी बाउण्ड्रीवाल बनाकर वाद भूमि को अकृषि के रूप में उपयोग कर रहा है। भूमि संक्रमणीय खाते की है जो वादी के नाम दर्ज है। इसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार उनके द्वारा वाद भूमि उपरोक्त को धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या से मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि वादी का नाम वाद भूमि पर संक्रमणीय के रूप में दर्ज है जिसमें विद्यालय चला रहा है। भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं किया जा रहा है। भूमि अकृषिक हो चुकी है। इस प्रकार वाद भूमि उपरोक्त को धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने मे कोई विधिक बाधा नहीं है।

## आदेश

उपरोक्त के आलोक में ग्राम मुइली की खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता संख्या 112 गाटा संख्या 542क/0.1550है0, 549/0.0440है0, खाता संख्या 51 गाटा संख्या 542ख/0.0630है0, खाता संख्या 70 गाटा संख्या 544/0.0740है0 एव ग्राम चौबेपुर की खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 के खाता संख्या 70 की गाटा संख्या 269/0.4260है0 को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि/रकबे को भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। इस आदेश का अंकन ग्राम मुइली परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर की वर्तमान खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता संख्या 112, 51, 70पर अंकित गाटा संख्या उपरोक्त के वग्राम चौबेपुर की खतौनी वर्ष1419–1424फ0 के खाता संख्या 87 के गाटा संख्या 269 के सम्मुख प्रविष्टि वाले कालम में किया जाय तथा भविष्य में भी निर्मित होने वाली खतौनियों में भी इस आदेश का अंकन बराबर होता रहेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक जयसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21.11.15

दिनांक: नवम्बर 21,2015

(डा0 रमेश कुमार शुक्ल)
उपजिलाधिकारी,
जयसिंहपुर।

NOTARY
... DRA PRATAP SINGH
ADVOCATE
TEHSIL SADAR

Photo Stat Attested

NOTARY

सत्य-प्रतिलिपि

नकल हेतु प्रार्थना पत्र की तारीख 21-11-15
प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र देने का दिनांक
स्टाम्प ... 13-00
तैयार ... 24-11-15
प्रतिलिपि देने का दिनांक 24-11-15

प्रतिलिपिकार ... जयसिंहपुर-सुलतानपुर
24-11-15